

कार्यालय कलेक्टर, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)
//सार्वजनिक सूचना//


क्रमांक / 62 / भू-अर्जन / 158 / 2021

धमतरी, दिनांक 04/01/2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की "कल्ले अंवरी सेमरा गाड़ाडीह हंचलपुर कुरा बागतराई आमदी मार्ग का चौड़ीकरण" हेतु ग्राम-ईरा, पटवारी हल्का नंबर 13, तहसील भखारा, जिला-धमतरी स्थित निजी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016" के प्रावधानों के तहत नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) रायपुर संभाग लोक निर्माण विभाग रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण				
भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी
1	2	3	4	5
जगत पिता उदली	453	0.06	0.0088	कलेक्टर जिला धमतरी
उत्तम पिता बोधीराम	513	0.09	0.0048	
मदन सिंह पिता नेहरू	503	0.49	0.0168	
	506	0.12	0.0048	
हुलास राम पिता दयाराम	427	0.2	0.0152	
	428 / 1	0.92	0.0080	
नंदकिशोर पिता शिवप्रसाद	499	0.29	0.0072	

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।


कलेक्टर
जिला-धमतरी

पृ.क्रमांक 63 / भू-अर्जन / 158 / 2021
प्रतिलिपि :-

धमतरी, दिनांक 04/01/2021

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरुद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) रायपुर संभाग लोक निर्माण विभाग रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की मूल प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं स्थानीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार भखारा, तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।

(4)

